मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

फा.क. 162/कृषि भूमि नीलामी/2025 /139, भोपाल दिनांक 11-4-2025

//वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी की सूचना//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के अंतर्गत म.प्र राज्य की तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के ग्राम खरदा (सेमरी हरचंद), ग्राम गूजरखैरी, ग्राम चीचली, ग्राम बांसखापा की वक्फ कृषि भूमियों की वार्षिक नीलामी केवल कृषि प्रायोजन हेतु कराई जाना है। वक्फ कृषि भूमि वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक नीलामी पट्टे/लीज़/तौजी/किराये हेतु एक वर्ष से तीन वर्षों पर देने की कार्यवाही कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल मुख्यालय से खुली बोली के आधार पर की जावेगी। वक्फ कृषि भूमियों की पृथक पृथक नीलामी की जाएगी इसके खसरा नम्बर, भूमि का रकबा नीलामी की न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ एवं धरोहर राशि की जानकारी कार्यालय म.प्र वक्फ बोर्ड की website: www.mpwaqfboard.org पर देखी जा सकती है। सूची म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल के कार्यालय के सूचना पटल पर कार्य दिवस में भी देखी जा सकती है। तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के ग्राम खरदा (सेमरी हरचंद), ग्राम गूजरखैरी, ग्राम चीचली, ग्राम बांसखापा वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी निम्न तालिका अनुसार दिनांक 21.04.2025 को कराई जाएगी।

क्रमांक	दिनांक	तहसील व जिला	समय
1	21.04.2025	1. ग्राम खरदा (सेमरी हरचंद) तहसील सोहागपुर नर्मदापुरम 2. ग्राम गूजरखैरी तहसील सोहागपुर नर्मदापुरम 3. ग्राम चीचली तहसील सोहागपुर नर्मदापुरम 4. ग्राम बांसखापा तहसील सोहागपुर नर्मदापुरम	सुबह 12:00 बजे से

नीलामी की शर्ते

1. प्रत्येक कृषि भूमि की नीलामी न्यूनतम रिर्ज़व प्राईज़ के अनुसार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टा पर दी जावेगी।
2. ज़िले की वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सूची में निर्धारित आरक्षित राशि का 10% नीलामी तिथि को नीलामी से पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. नीलामी में सफल बोलीकर्ता द्वारा पूर्ण नीलामी राशि अथवा उसकी 50% राशि डी.डी./चैक/नगद राशि नीलामी दिनांक को ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड के नाम से कार्यालयीन समय में जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता द्वारा यदि 50 प्रतिशत राशि जमा की जाती है तो शेष 50 प्रतिशत राशि का एक सप्ताह के भीतर का चैक नीलामी दिनांक को ही जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नीलामी निरस्त की जा सकेगी।
4. नीलामी में असफल व्यक्तियों की आरक्षित राशि का प्रस्तुत डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलतः वापस कर दिया जावेगा।
5. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश असमर्थता जताई जाती है तो बोली में सम्मिलित दूसरे तथा तीसरे सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कृषि भूमि पट्टे पर आवंटित कर दी जावेगी।
6. कृषि भूमि नीलामी में शेष रहने की दशा में कृषि भूमियों को आगामी दिनांकों में कार्यालय म0प्र0 वक्फ बोर्ड भोपाल/ज़िला वक्फ कमेटियों के माध्यम से नीलामी की जा सकेगी।
7. कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही को कराने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल को होगा।
8. समाचार पत्र में प्रकाशित पूर्व विज्ञप्ति की विवरणी अनुसार म.प्र राज्य वक्फ बोर्ड में इन्द्राज तथा म.प्र राज्य शासन द्वारा राजपत्रित कृषि भूमियों को लीज़/रेन्ट हेतु नीलाम किया जा रहा है तथा उक्त कृषि भूमियों में भी अगर किसी भी वैधानिक न्यायालय से बोर्ड के विरोध में स्थगन अथवा कोई निर्णय हो जो संबंधित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त आदेश को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व आकर म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल कार्यालय को अवगत करा दें जिससे कि एसी सम्पत्तियों को लीज़/रेन्ट पर देने की प्रक्रिया को रोका जा सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र वक्फ बोर्ड भोपाल

कृषि भूमि लिस्ट
जिला होशंगाबाद
तहसील सोहागपुर

नीलामी के लिये निम्न तालिका अनुसार न्यूनतम रिजर्व प्राईज निर्धारित की जायेगी। आरक्षित राशि रिजर्व प्राईज की 10 प्रतिशत रहेगी।

★	हैक्टेयर	एकड़	बीघा
सिंचित	37500	15000	7500
असिंचित	24700	10000	5000

क्र.	पंजीयन कमांक	गजट क्रमांक	वक्फ का नाम	खसरा	रकबा
1	38	62	जामा मस्जिद कस्बा सोहागपुर	162 265	0.073 3760 वर्गफिट
			कृषि भूमि ग्राम बांसखापा	10	0.405
			कृषि भूमि ग्राम नगतरा	36	4.492
			कृषि भूमि ग्राम खारदा	117 119 121/1 123 का आधा भाग	20.671
			कृषि भूमि ग्राम गूजरखेडी	70 288 293 391 392	16.876